"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 413]   रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 15 सितम्बर 2017 —— भाद्रपद 24, शक 1939

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग
दाऊ कल्याण सिंह भवन (पुराना मंत्रालय) के समीप, रायपुर

प्रकरण क्रमांक एफ-68-46/तीन (दो)/न. पा./व्यय लेखा/2015/3306   रायपुर, दिनांक 24 अगस्त 2017

1. कु. अंशुल सिंह, अभ्यर्थी महापौर पद आम निर्वाचन दिसम्बर 2014, नगर पालिक निगम, चिरमिरी, जिला कोरिया, छ.ग.
2. मोहम्मद इमाम, अभ्यर्थी महापौर पद आम निर्वाचन दिसम्बर 2014, नगर पालिक निगम, चिरमिरी, जिला कोरिया, छ.ग.
3. मंगल प्रसाद केसरवानी, अभ्यर्थी महापौर पद आम निर्वाचन दिसम्बर 2014, नगर पालिक निगम, चिरमिरी, जिला कोरिया, छ.ग.
4. डॉ. मो. शमीम अंसारी, अभ्यर्थी महापौर पद आम निर्वाचन दिसम्बर 2014, नगर पालिक निगम, चिरमिरी, जिला कोरिया, छ.ग.

आदेश

(छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14-ग सहपठित धारा 14-ख के अंतर्गत)
पारित दिनांक 24 अगस्त 2017

1. यह प्रकरण कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) कोरिया के प्रतिवेदन दिनांक 26-2-2015 के आधार पर छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (एतत्पश्चात् संक्षेप में अधिनियम) की धारा 14-ग सहपठित धारा 14-ख के तहत प्रारंभ किया गया है.

2. प्रकरण का संक्षिप्त विवरण यह है कि नगर पालिक निगम चिरमिरी जिला कोरिया के महापौर पद के लिये आम निर्वाचन दिसम्बर 2014 में कुल 8 अभ्यर्थियों ने निर्वाचन लड़ा था. निर्वाचन परिणाम दिनांक 4-1-2015 को घोषित किया गया. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) कोरिया ने राज्य निर्वाचन आयोग को अपने ज्ञापन दिनांक 26-2-2015 के साथ निर्धारित प्रपत्र में जानकारी संलग्न कर प्रतिवेदित किया कि नगर पालिक निगम चिरमिरी के आम निर्वाचन दिसम्बर 2014 में महापौर पद के अभ्यर्थियों में से अभ्यर्थीगण कु. अंशुल सिंह, मोहम्मद इमाम, मंगल प्रसाद केशरवानी एवं डॉ. मो. शमीम अंसारी द्वारा निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि के पश्चात् नियत समयावधि में विधि की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल नहीं किया गया है.

3. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका), कोरिया के प्रतिवेदन के परिप्रेक्ष्य में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अभ्यर्थियों कु. अंशुल सिंह, मोहम्मद इमाम, मंगल प्रसाद केशरवानी एवं डॉ. मो. शमीम अंसारी को अधिनियम की धारा 14-ग सहपठित धारा 14-क एवं 14-ख के अन्तर्गत सूचना प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर इस बात की हेतुक दर्शित करने के लिए कारण बताओ सूचना जारी की गई कि वे उक्त निर्वाचन व्यय लेखा अपेक्षित समय के भीतर विहित रीति में अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करने में क्यों असफल रहे तथा क्यों न उनके विरुद्ध अधिनियम की धारा 14-ग के अन्तर्गत कार्रवाई करते हुए उनको पांच वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए इस प्रकार चुने जाने तथा नगर पालिक निगम का महापौर या पार्षद होने के लिए निरर्हित किया जाए. कारण बताओ सूचना अभ्यर्थियों को तामील की गई. अभ्यर्थीगण कु. अंशुल सिंह, मंगल प्रसाद केशरवानी एवं डॉ. मो. शमीम अंसारी को कारण बताओ

सूचना तामील होने के पश्चात् भी उनके द्वारा न तो निर्धारित अवधि में और न ही उसके पश्चात् आज पर्यन्त अपना लिखित जवाब/अभ्यावेदन आयोग में प्रस्तुत किया गया. ऐसी स्थिति में यह माना गया कि उक्त अभ्यर्थीगण को अपने पक्ष के समर्थन में कुछ नहीं कहना है एवं तदनुसार अभ्यर्थीगण कु. अंशुल सिंह, मंगल प्रसाद केशरवानी एवं डॉ. मो. शमीम अंसारी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई.

4. अभ्यर्थी मोहम्मद इमाम द्वारा कारण बताओ सूचना के सन्दर्भ में लिखित जवाब आयोग कार्यालय में दिनांक 28-9-2015 को प्रस्तुत किया गया जिसमें उल्लेख किया गया कि उनके द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर निर्वाचन व्यय लेखा रिटर्निंग ऑफिसर एस. डी. एम. चिरमिरी के कार्यालय में प्रस्तुत कर दिया गया था जो संभवत: अधिसूचित अधिकारी तक नहीं पहुंच पाया, जिसका खेद है. उनके द्वारा अज्ञानता के कारण हुई भूल को मानवीय भूल समझकर माफ करने का निवेदन किया गया है. अभ्यर्थी के जवाब के संदर्भ में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) कोरिया का अभिमत प्राप्त किया गया. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) कोरिया ने पत्र क्रमांक 27/न. पा. आ. नि./निर्वा. व्यय लेखा/2017, दिनांक 23-5-2017 में अभिमत दिया कि अभ्यर्थी मोहम्मद इमाम द्वारा जवाब में निर्वाचन व्यय लेखा तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी (रा.) चिरमिरी जो कि सहायक रिटर्निंग ऑफिसर थे, को दिया जाना उल्लेखित किया है जबकि निर्वाचन व्यय लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी को निर्धारित समयसीमा के अन्दर जमा किया जाना चाहिए था. अभ्यर्थी द्वारा ऐसा नहीं किया गया. अभ्यर्थी के कृत्य को अधिनियम की धारा का उल्लंघन उल्लेखित करते हुए अभ्यर्थी के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई. अभ्यर्थी को आयोग द्वारा सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए दिनांक 17-8-2017 को आयोग कार्यालय में आहूत किया गया. अभ्यर्थी के सूचना प्राप्ति के उपरांत भी निर्धारित दिनांक को उपस्थित नहीं होने पर यह मानते हुए कि अभ्यर्थी को जवाब के समर्थन में और कुछ नहीं कहना है, प्रकरण में एक पक्षीय कार्रवाई की गई.

5. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) कोरिया ने प्रतिवेदित किया है कि वे अभ्यर्थीगण कु. अंशुल सिंह, मोहम्मद इमाम, मंगल प्रसाद केशरवानी एवं डॉ. मो. शमीम अंसारी द्वारा निर्वाचन व्यय का लेखा निर्धारित समयावधि में आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी-जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल नहीं किया गया है. यह अधिनियम की धारा 14-क (1) एवं 14-ख का उल्लंघन है. अधिनियम की धारा 14-क (1) एवं 14-ख निम्नानुसार है :

"**14-क. निर्वाचन व्ययों का लेखा.**- (1) महापौर के निर्वाचन में प्रत्येक अभ्यर्थी निर्वाचन संबंधी उपगत उस सब व्यय का जो, उस तारीख के जिसको वह नामनिर्दिष्ट किया गया है और उस निर्वाचन के परिणामों की घोषणा की तारीख के, जिनके अन्तर्गत ये दोनों तारीखें आती हैं, बीच स्वयं द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा उपगत या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, पृथक् और सही लेखा या तो वह स्वयं रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवायेगा."

इससे स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 14-क (1) की अपेक्षानुसार महापौर पद के निर्वाचन में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन व्ययों का प्रतिदिन का लेखा रखा जाना अनिवार्य है. अधिनियम की धारा 14-ख निम्नानुसार है :

"**धारा 14-ख. निर्वाचन व्यय के लेखे को दाखिल किया जाना.**- महापौर के निर्वाचन में का प्रत्येक निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी निर्वाचन की तारीख से तीस दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जो उस लेखा की सही प्रति होगी जिसे उसने या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने धारा 14-क के अधीन रखा है राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास, दाखिल करेगा."

अधिनियम की धारा 14-ख की अपेक्षानुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा तिथि से तीस दिवस के अंदर निर्वाचन व्यय का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल किया जाना अनिवार्य है. निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण एवं प्रस्तुति) आदेश 2012 की कंडिका 07 के तहत जिला निर्वाचन अधिकारी को अधिसूचित अधिकारी नामोद्दिष्ट किया गया है. अत: उक्त व्यय लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाना था. उक्त जानकारी 3-2-2015 तक प्रस्तुत करना था. यद्यपि कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) कोरिया ने प्रतिवेदन में इसे दिनांक 4-2-2015 उल्लेखित किया है.

6. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) कोरिया के प्रतिवेदन तथा प्रकरण से सम्बंधित उपलब्ध अन्य अभिलेखों के परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि नगरपालिक निगम चिरमिरी के महापौर पद के आम निर्वाचन दिसम्बर 2014 में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों कु. अंशुल सिंह, मंगल प्रसाद केशरवानी एवं डॉ. मो. शमीम अंसारी द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा अधिनियम की धारा 14-क (1) तथा धारा 14-ख की अपेक्षानुसार अधिसूचित अधिकारी के पास विहित रीति से निर्धारित अवधि में एवं उसके पश्चात् आज पर्यन्त प्रस्तुत नहीं किया गया तथा आयोग द्वारा जारी कारण बताओ सूचना के संदर्भ में अपना लिखित जवाब/अभ्यावेदन भी आयोग कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया. अभ्यर्थी मोहम्मद इमाम द्वारा कारण बताओ सूचना के संदर्भ में जवाब प्रस्तुत किया गया जिसमें निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने को अज्ञानता एवं मानवीय भूल समझकर माफ करने का निवेदन किया गया है. अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा के साथ शपथपत्र दिनांक 21-9-2015 प्रस्तुत किया गया है. इससे स्पष्ट है कि उनके द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं किया गया. संलग्न दस्तावेज से उनके इस कथन की पुष्टि नहीं होती है कि उन्होंने एस. डी. एम. को निर्धारित समय पर निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत कर दिया था. इस असफलता के लिए उन्होंने कोई कारण अथवा न्यायोचित्यता रखने की सूचना आयोग को नहीं दी. अत: मुझे यह समाधान हो गया है कि अभ्यर्थीगण कु. अंशुल सिंह, मोहम्मद इमाम, मंगल प्रसाद केशरवानी एवं डॉ. मो. शमीम अंसारी प्रश्नाधीन निर्वाचन

व्ययों का लेखा निर्धारित समयावधि के भीतर अधिनियम के अधीन अपेक्षित रीति में आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करने में असफल रहे हैं तथा उक्त अभ्यर्थीगण इस असफलता के लिये कोई उपयुक्त कारण या न्यायोचित्यता नहीं रखते हैं. तदनुसार अधिनियम की धारा 14-ग के प्रावधान अनुसार अभ्यर्थियों कु. अंशुल सिंह, मोहम्मद इमाम, मंगल प्रसाद केशरवानी एवं डॉ. मो. शमीम अंसारी को निर्वाचन व्ययों का लेखा निर्धारित समयावधि के भीतर विहित रीति से विधि की अपेक्षानुसार दाखिल करने में असफल रहने तथा धारा 14-ग (ख) में वर्णित कोई न्यायोचित्यता नहीं रखने के कारण इस आदेश की तारीख से 3 (तीन) वर्ष की कालावधि के लिये इस प्रकार चुने जाने एवं नगर पालिक निगम के महापौर या पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है. अधिनियम की धारा 14-ग की अपेक्षानुसार इस आदेश का प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र में कराया जाए.

7. यह आदेश छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग की मोहर से तारीख 24 अगस्त 2017 को जारी किया गया.

हस्ता./-
राम सिंह
राज्य निर्वाचन आयुक्त.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.